न्यायालय–दिशा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

Registration No. RCT/1100/2019
Filing No.- RCT/5198/2019
CNR No.- MP6701-005728-2019
Filing Date-28/11/2019

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

फरियादी	म.प्र. राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र देहात, जिला अशोकनगर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्रीमति रीना शिवहरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	1. राजकुमार पुत्र हल्लूराम अहिरवार, उम्र 32 वर्ष, निवासी– पथरिया थाना देहात जिला अशोकनगर म.प्र. 2. सागर पुत्र ब्रजेश लखेरा, उम्र 40 वर्ष, निवास– मकान नं. 39 न्यू राजीव नगर सेमरा भोपाल म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरनामबौद्ध अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	21.07.2019
प्र.सू.रि. की तिथि	22.07.2019
आरोप पत्र की तिथि	24.02.2020
आरोपों के विरचना की तिथि	24.02.2020
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	13.07.2020
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	02.11.2022
निर्णय की तिथि	02.11.2022
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	राजकुमार	10.08.19	10.08.19	297,337, भा.द.सं. व 3/181,	दोषमुक्त	कुछ नहीं	कुछ नहीं

				146/192 मोटरयान अधिनियम			
02.	सागर			5/180, 146/192 मोटरयान अधिनियम	दोषमुक्त	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	मौकमसिंह	एफ.आई.आर ताहितव
अ.सा.–2	तिलकराज	कथन साक्षी
अ.सा.–3	नीरजसिंह	विवेचक

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोज न :–

स.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी.–1/अ.सा.–1	देहाती नालसी
2.	प्रदर्श पी.–2/अ.सा.–1	घटना स्थल का नक्शा मौका
3.	प्रदर्श पी.–3/अ.सा.–1	कथन 161 द.प्र.सं.
4.	प्रदर्श पी.–4/अ.सा.–2	कथन 161 द.प्र.सं.
5.	प्रदर्श पी.–5/अ.सा.–3	संपत्ति जप्ती पत्रक
6.	प्रदर्श पी.–6/अ.सा.–3	गिरफतारी पत्रक

आरक्षी केन्द्र देहात के अपराध क. 437/2019 अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता व 03/181, 146/196, 5/180 मोटरयान अधिनियम से उद्भुत प्रकरण।

//निर्णय//

(आज दिनांक 02.11.2022 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त राजकुमार के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 व मोटरयान अधिनियम की धारा 03/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध का अभियोग है कि दिनांक 21.07.2019 को समय 20:45 बजे थाना देहात अंतर्गत बरखेड़ा जागीर सरकारी स्कूल के पास अशोकनगर लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल

स्पेलेण्डर प्रो काले रंग की हीरो होण्डा कपंनी जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 04एम.वाय–4172 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत तिलकराज का मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत तिलकराज को टक्कर मारकर उपहति कारित की, एवं उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थल पर बिना बीमा एवं बिना चालन अनुज्ञिप्त के चलाया। अभियुक्त सागर के विरूद्ध धारा 05/180 , 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अपराध का अभियोग है कि उसने उक्त वाहन को अभियुक्त राजकुमार को चलाने के लिये दिया जिसके पास बीमा एवं प्रभारी चालन अनुज्ञिप्त नही थी।

02. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.07.2019 को समय 20:45 बजे फरियादी व उसका भतीजा तिलकराज मजदूरी करके अथाईखेड़ा से वापस उनके गांव धतुरिया जा रहे थे। मोटरसाईकिल उसका भतीजा तिलकराज चल रहा था। जैसे ही तिलकराज बरखेड़ा जागीर के स्कूल के पास पहुंचा तो सामने से एक मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.04 एम.वाय–4172 का चालक उसकी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवारहीपूर्वक चलाकर लाया और तिलकराज की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर से तिलकराज रोड़ पर गिर गया जिससे उसे दाहिने तरफ आंख के उपर, दाहिने तरफ सिर व शरीर में जगह–जगह चोटे आई। घटना उसने व रामवीर अहिरवार व आने जाने वाले लोगो ने देखी। घटना के संबंध में फरियादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। अन्वेषण के दौरान नक्शा मौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, अन्वेषण पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. प्रकरण में यह उल्लेख करना उचित होगा कि फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त राजकुमार को भा.द.सं. की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

04. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया। अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में ऐसी कोई महत्वपूर्ण विपरीत परिस्थितियां नहीं आई जिनके संबंध में द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण किया जाना आवश्यक हो।

05. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न हैं–

1. क्या अभियुक्त राजकुमार ने दिनांक 21.07.2019 को समय 20:45 बजे थाना देहात अंतर्गत बरखेड़ा जागीर सरकारी स्कूल के पास अशोकनगर लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर प्रो काले रंग की हीरो होण्डा कपंनी जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी.04एम.वाय–4172 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत तिलकराज का मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त राजकुमार ने उक्त दिनांक ,समय व स्थान पर उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थल पर बिना बीमा के चलाया ?

3. क्या अभियुक्त अजबसिंह ने उक्त दिनांक ,समय व स्थान पर उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थल पर बिना चालन अनुज्ञिप्त के चलाया ?

4. क्या अभियुक्त सागर ने उक्त दिनांक ,समय व स्थान पर उक्त वाहन को अभियुक्त राजकुमार को बिना बीमा व बिना चालान अनुज्ञिप्त के चलाने के लिये दिया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिंदू क्रमांक 01 लगायत 04

06. साक्षी मोकमसिंह अ.सा. 01 के कथन हैं कि घटना लगभग दो साल पुरानी हैं। घटना दिनांक को उसके भतीजे की मोटरसाईकिल से टक्कर गाय से हो गई थी जिससे उसे चोटे आई थी। जिसके संबंध में फरियादी ने देहाती नालसी प्रपी 01 लेखबद्ध कराई जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रपी 02 उसके बताये अनुसार बनाया जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि उसके भतीजे की टक्कर मोटरसाईकिल से नही हुई थी। उसे बाद में जानकारी लगी थी कि उसकी टक्कर गाय से हुई थी। आहत साक्षी तिलकराज अ.सा. 02 ने साक्षी मोकमसिंह अ.सा. 01 के कथन का समर्थन करते हुये व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को उसकी मोटरसाईकिल की टक्कर गाय से हो गई थी जिसके कारण उसे चोटे आई थी। इसके अतिरिक्त साक्षी ने अभियेाजन के मामले का समर्थन नही किया हैं।

07. साक्षी नीरजसिंह अ.सा. 03 के कथन हैं कि वह दिनांक 10.08.2019 को थाना देहात में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को अपराध क्र. 437/19 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शा मौका प्रपी 02 बनाया गया जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से मोटरसाईकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी 05 बनाया जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रपी 06 बनाया जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। वाहन मालिक को धारा 133 मोटरयान अधिनियम का नोटिस दिया गया जो प्रपी 07 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

08. न्यायालय द्वारा उपरोक्त साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया। अभियोजन साक्षी साक्षी मोकमसिंह अ.सा.01 व साक्षी तिलकराज अ.सा. 02 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आहत साक्षी तिलकराज अ.सा. 02 ने स्पष्टरूप से इन्कार किया कि घटना दिनांक को उसकी टक्कर अभियुक्त की मोटरसाईकिल से हुई थी एवं उसने पुलिस कथन प्रपी प्रपी 04 के कथन पुलिस को दिये जाने से भी इन्कार किया। प्रकरण में जब आहत साक्षी ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नही किया है तब प्ररकण में अभियुक्तगण के विरूद्ध निष्कर्ष नही निकाला जा सकता हैं। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त राजकुमार द्वारा घटना दिनांक को मोटरसाईकिल एम.पी.04एम.वाय–4172 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। जहां तक अभियुक्त द्वारा बिना बीमा व बिना चालन अनुज्ञप्ति के वाहन चलाने का प्रश्न है तो उक्त बिन्दु पर साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य भी प्रमाणित नही होता की अभियुक्त ने उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थल पर बिना चालन अनुज्ञिप्त के चलाया था एवं अभियुक्त सागर ने उक्त वाहन अभियुक्त राजकुमार को बिना बीमा एवं बिना चालान अनुज्ञप्ति के चालाने हेतु दिया।

अंतिम आदेश

09. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि

अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त राजकुमार ने घटना दिनांक 21.07.2019 को समय 20:45 बजे थाना देहात अंतर्गत बरखेड़ा जागीर सरकारी स्कूल के पास अशोकनगर लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर प्रो काले रंग की हीरो होण्डा कपंनी जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी.04एम.वाय–4172 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत तिलकराज का मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थल पर बिना बीमा एवं बिना चालन अनुज्ञिप्त के चलाया एवं यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा हैं कि अभियुक्त सागर ने उक्त दिनांक को उक्त वाहन को बिना बीमा व बिना अनुज्ञिप्त के अभियुक्त राजकुमार को परिवहन करने को दिया। परिणामस्वरूप अभियुक्त राजकुमार को भा.द.सं. की धारा 279, एवं धारा 146/196, 3/181 मोटरयान अधिनियम व अभियुक्त सागर को धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

10. अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

11. प्रकरण में जप्त जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.04एम. वाय–4172 स्वामी सागर की सुपुर्दगी पर पूर्व से है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् उन्मोचित माना जाएगा। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायलाय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जाएगा।

12. अभियुक्तगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे है। तत्संबंधी प्रमाणपत्र अंतर्गत धारा 428 द..प्र.सं. पृथक से तैयार कर अभिलेख में संलग्न किये जाये।

दिनांक 02.11.2022

स्थान– अशोकनगर

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुलें न्यायालय में घोषित किया गया **मेरे निर्देशन पर टंकित किया ।**

(दिशा यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अशोकनगर (म0प्र0)

(दिशा यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अशोकनगर (म0प्र0)